"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 257] रायपुर, शनिवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2012—आश्विन 14, शक 1934

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/39/2012/वाक/पांच (54).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 में राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा,—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 8 के,

(i) उप-नियम (2) में शब्द "आदेश द्वारा अनुज्ञा" के पश्चात् शब्द "तीस दिन के भीतर प्रारूप 5-क में" जोड़ा जाय.

(ii) वर्तमान उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम (3) प्रतिस्थापित किया जाय :—

"(3) प्रशमन के रूप में एक मुश्त भुगतान की जाने वाली रकम, नीचे विनिर्दिष्ट प्रत्येक प्रकार की संविदा के सामने उल्लेखित दर से अवधारित की जाएगी और यह रकम ऐसी कार्य संविदा के संबंध में रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा प्राप्त

अथवा प्राप्य कुल आर्थिक प्रतिफल पर ऐसी दर से इस प्रकार अवधारित की जाएगी—

क्रमांक	संविदा का प्रकार	दर जिस पर एक मुश्त राशि अवधारित की जाएगी
(1)	(2)	(3)
1.	सिविल निर्माण कार्य, जैसे भवनों पुलों, सड़कों, बांध, बराजों, नहरों, मोड़ों का निर्माण, इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होंगे— (क) एयर कंडीशनर, एयरकूलर अथवा एयर कंडीशनिंग उपकरण का प्रदाय तथा संस्थापन। (ख) विद्युत सामान एवं उपकरण का प्रदाय तथा फिटिंग (ग) एलिवेटर (लिफ्ट) एवं एस्केलेटर का फेब्रिकेशन तथा संस्थापन। (i) जब इसमें उपयोग किया जाने वाला माल छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर से क्रय किया जाय।	2 प्रतिशत
	(ii) जब इसमें उपयोग किया जाने वाला माल छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर से प्राप्त/क्रय किया जाय।	4 प्रतिशत
2.	संयंत्र तथा मशीनरी का फेब्रीकेशन तथा संस्थापन।	4 प्रतिशत
3.	एयर कंडीशनरों, एयरकूलरों, एयर कंडीशनिंग उपकरणों, जिसमें डीप फ्रीजर, शीतागार संयंत्र तथा नमीकरण संयंत्र सम्मिलित हो, का प्रदाय तथा संस्थापन।	10 प्रतिशत
4.	सभी अन्य संविदाएं, जो उक्त क्रमांक 1 से 3 में विनिर्दिष्ट न हों	5 प्रतिशत"

(iii) उप-नियम (4) में शब्द "भुगतान प्राप्त अथवा प्राप्य होने के" के पश्चात् शब्द "दिन के आगामी माह के प्रथम दिन से" जोड़ा जाय।

(2) नियम 9 के उप-नियम (2) के परंतुक में शब्द "चार प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "पांच प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाय।

(3) नियम 20 में :—

(i) उप-नियम (2) के खंड (क) के पश्चात् वर्तमान परंतुक में शब्द "चालीस" के स्थान पर शब्द "साठ" प्रतिस्थापित किया जाय।

(ii) उप-नियम (2) के खंड (ख) में शब्द "रजिस्ट्रीकृत व्यापारी" के पश्चात् "जो निर्माता या/और आयाता नहीं है, और जिनके द्वारा अंतर्राज्यीय विक्रय/भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय नहीं किया जाता है, वर्ष की समाप्ति के आठ माह के भीतर प्रारूप 18-क में एवं उक्त से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यापारी" अंत:स्थापित किया जाय।

(4) नियम 78 में :—

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाय, यथा :—

"(1) कोई व्यापारी, जिससे धारा 65 के अधीन समाशोधन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित हो, ऐसा प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने के लिये आवेदन इलेक्ट्रानिक पद्धति से समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी को प्ररूप 72 में करेगा"

(ii) उप-नियम (2) के खंड (क) में जहां कहीं भी शब्द "एक माह" आया हो के स्थान अंक एवं शब्द "7 दिन" प्रतिस्थापित किया जाय।

(iii) उप-नियम (2) के खंड (ख) में शब्द "दो प्रतियों में" तथा "कर समाशोधन प्रमाण-पत्र में" के पश्चात् शब्द "इलेक्ट्रानिक पद्धति से" अंत:स्थापित किया जाय।

(5) नियम 82 में,—

(i) उप—नियम (2) में शब्द एवं अंक "40 लाख" के स्थान पर शब्द एवं अंक "60 लाख" प्रतिस्थापित किया जाय।

(ii) उप—नियम (3) में अंक "3,000/—" के स्थान पर अंक "8,000/—" तथा अंक "5,000/—" के स्थान पर अंक "10,000/—" प्रतिस्थापित किया जाय।

(iii) उप—नियम (4) में शब्द एवं अंक "प्ररूप 18" के पश्चात् शब्द एवं अंक "अथवा प्ररूप 18—क यथास्थिति" प्रतिस्थापित किये जाय तथा शब्द एवं अंक "40 लाख" के स्थान पर शब्द एवं अंक "60 लाख" तथा अंक "1,000/—" के स्थान पर अंक "4,000/—" एवं अंक "2,000/—" के स्थान पर अंक "5,000/—" प्रतिस्थापित किया जाय

(iv) उप—नियम (7) में अंक "5,000/—" के स्थान पर अंक "8,000/—" प्रतिस्थापित किया जाय।

(6) प्ररूप 5 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप 5—क जोड़ा जायः—

"प्ररूप 5—क
(नियम 8(2) देखिये)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अधीन प्रशमन के रूप में एक मुश्त रकम का भुगतान करने के लिये अनुज्ञा

श्री .... जो .... के नाम से ज्ञात कारबार कर रहे है और रजिस्ट्रीकृत व्यापारी है, जिसका छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन टिन कमांक .... है तथा जिसके कारबार का एकमात्र/प्रमुख स्थान नगर/ग्राम .... जिला .... तहसील .... नगरपालिका वार्ड कमांक .... (केवल नगरपालिका क्षेत्रों के लिये) में स्थित है, को संकर्म संविदा (संविदा का प्रकार) .... स्थान .... में मूल्य रू0 .... के लिये छ.ग. मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 की उप—धारा (1—क) के तथा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 8(2) के अधीन .... % की दर से एकमुश्त भुगतान करने की अनुज्ञा दी जाती है।

सील (हस्ताक्षर)

दिनांक वाणिज्यिक कर अधिकारी

वृत्त ...."

(7) प्ररूप 17 में अ.क्र. 22 के पश्चात् निम्नांकित सूचियां जोड़ी जायः–

"राज्य के भीतर ऐसे व्यवसाईयों से क्रय की सूची जिनसे वर्ष में रू. 1 लाख से अधिक का क्रय किया गया हो

क्र0	व्यापारी का नाम पता सहित जिससे माल क्रय किया गया	टिन नंबर	क्रय किये गए माल का विवरण	कुल क्रय राशि	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			योग		

राज्य के भीतर ऐसे व्यवसाईयों को विक्रय की सूची जिन्हे वर्ष में रू. 1 लाख से अधिक का विक्रय किया गया हो

क्र0	व्यापारी का नाम पता सहित जिसको माल विक्रय किया गया	टिन नंबर	विक्रय किये गए माल का विवरण	कुल विक्रय राशि	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			योग		

(8) प्ररूप 18 के भाग–ग में "राज्य के बाहर विक्रय/कंसाइनमेंट/ब्रांच ट्रांसफर की सूची" के पूर्व निम्नलिखित सूचियां अंतःस्थापित की जायः–

"अंतर्राज्यीय विक्रय की सूची (त्रैमासिक)

क्र0	तिमाही की अवधि	व्यापारी का नाम पता सहित जिसे माल विक्रय किया गया	टिन नंबर	विक्रय किये गए माल का विवरण	मूल्य	'[illegible]' फार्म [illegible]मांक	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				योग			

राज्य के बाहर से कंसाइनमेंट/ब्रांच ट्रांसफर से प्राप्त मालों की सूची

क्र0	कंसाइनमेंट एजेंट/ब्रांच का नाम पता सहित	टिन नंबर	माल का विवरण	मूल्य	जारी किए गए 'एफ' फार्म क्रमांक	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			योग"			

(9) प्ररूप 18 के भाग–ग में "घोषणा पत्र के विरूद्ध रियायती दर से कर संग्रहित कर विक्रय की सूची" के पश्चात् निम्नलिखित सूची अंतःस्थापित की जायः–

"धारा 27 के अंतर्गत टी.डी.एस. प्रमाण पत्रों की सूची

अ.क्र.	टीडीएस किये जाने वाले व्यक्ति का नाम	टीडीएस की राशि	जमा की गई टीडीएस राशि का चालान क्र.	दिनांक	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

टीपः– टीडीएस प्रमाण पत्र संलग्न करें।"

(10) प्ररूप 18 के अंत में निर्धारित अभिस्वीकृति के प्रारूप के स्थान पर निम्नलिखित अभिस्वीकृति एवं सत्यापन प्रारूप प्रतिस्थापित किया जायः–

"अभिस्वीकृति एवं सत्यापन प्ररूप

1. विवरण पहचान संख्या ....
2. विवरण/पुनरीक्षित विवरण ....
3. टिन ....
4. व्यवसायी के कारोबार का नाम ....
5. व्यवसायी का नाम ....
6. पता ....
7. अधिनियम का प्रकार ....
8. अवधि ....
9. वित्तीय वर्ष ....
10. सकल विक्रय/क्रय राशि ....
11. प्रस्तुत करने की तिथि ....
12. चालान का विवरण–

क्रमांक	चालान क्रमांक	दिनांक	राशि	बैंक का नाम	शाखा

13. अन्य दस्तावेज–

विवरण	संख्या	कुल राशि
टीडीएस प्रमाण–पत्र		
एफ फार्म		
एच फार्म		
फार्म 26		
फार्म–आई		
अन्य		

घोषणा

विवरण पहचान क्रमांक .... के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित जानकारियां मेरे ज्ञान एवं विश्वास में पूर्णतः सहीं है।

व्यवसायी का हस्ताक्षर..................
स्थान .... पदनाम ....
दिनांक .... सील (यदि है तो)..............

प्राप्ति दिनांक, कार्यालयीन सील

विवरणी प्राप्त करने वाले कर्मचारी का हस्ताक्षर, नाम/पदनाम"

(11) प्ररूप 18 के पश्चात् निम्नानुसार नवीन प्रारूप 18-क जोड़ा जाय:-

"प्ररूप – 18-क
(ऐसे व्यवसायी, जो निर्माता या/और आयाता नहीं है और जिनके द्वारा अंतर्राज्यीय विक्रय/भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में नहीं किया जाता है, को लागू)

[देखें नियम 20(2)(ख)]

टिन (TIN)										
2	2									

वार्षिक विवरण की अवधि							
	दिवस	माह	वर्ष		दिवस	माह	वर्ष
प्रारंभ				से			

(केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु)

प्राप्ति दिनांक	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

हस्ताक्षर ....
नाम ....
पदनाम ....

व्यापारी का नाम ....

पता ....

दूरभाष/फैक्स नंबर ....

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शाखा कार्यालयों का नाम एवं पता, यदि कोई हो-
1. ....
2. ....

भाग-क

1. सकल विक्रय राशि

*यदि दवाईयों के अधिकतम खुदरा मूल्य पर कर चुकाने का विकल्प लिया हो तो अधिकतम खुदरा मूल्य के आधार पर सकल विक्रय राशि [ ]

घटाइये- (एक) विक्रय के छःमाह के भीतर हुए माल वापसी का मूल्य [ ]

(दो) नकदी बट्टा जो अनुज्ञात किया गया [ ]

2. शुद्ध विक्रय राशि

3. **कटौतियाँ:-**

(एक)– कर मुक्त विक्रय -धारा 15 एवं 15–ख के अंतर्गत –

(दो)– कर चुका विक्रय–धारा 2(भ)के अंतर्गत –

(तीन)– अन्य कटौतियां (विवरण दें)

(क)

(ख)

(चार)– सकल विक्रय में शामिल कर की राशि

कुल कटौतियाँ :

4. **करयोग्य विक्रय राशि -**

क्र0	करयोग्य विक्रय राशि	कर की दर	कर की राशि
1		1 %	
2		2 %	
3		5 %	
4		14 %	
5		25 %	
		योग :	

5. धारा 13(5) के अन्तर्गत देय कर

6. क्रय कर

कर योग्य राशि	देय क्रय कर

7. सकल देय कर (4+5+6)

8. ब्याज की राशि, यदि है

9. योग (7+8)

10. **आगत कर की गणना –**

वर्ष में क्रय किए गए माल पर भुगतान किये आगत कर के आधार पर (क्रय बीजकों में पृथक से दर्शाई गई कर राशि एवं विक्रेता व्यवसायी से प्राप्त घोषणा पत्र के अनुसार):-

(एक) 1% दर से				
(दो) 2% दर से				
(तीन) 5% दर से				
(चार) 14% दर से				
योग :				

11. **घटायें**– समायोजित आगत कर की राशि (क्र. 12 अनुसार)

12. **आगत कर का समायोजन** :-

(एक) अधिनियम के अधीन देय कर एवं ब्याज के विरूद्ध समायोजित

(दो) आगत कर जिसकी नकद वापसी चाही गई है

योग– (एक +दो) :

13. आगत कर की राशि आगामी वर्ष में अग्रणित (10–11)

14. धारा 27 के अन्तर्गत स्त्रोत पर कटौती

15. शेष देय राशि [9-17]

16. भुगतान विगत :-

क्र.	चालान क्रमांक	दिनांक	राशि	बैंक का नाम	शाखा
		योग :			

17. शेष देय राशि (यदि कोई है)

18. वापसी की राशि (यदि कोई है)

19. वापसी की राशि में से अगले वर्ष में समायोजित राशि

भाग–ख

दर के अनुसार माल के स्टाक का विवरण

अनु.	खाता का पृष्ठ	व्यापारिक लेखा का नाम	कर की दर	प्रारंभिक शेष	क्रय	अंतिम शेष	विक्रय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			योग–				

भाग–ग

राज्य के भीतर ऐसे व्यवसाईयों से क्रय की सूची जिनसे वर्ष में रू. 1 लाख से अधिक का क्रय किया गया हो

क्र0	व्यापारी का नाम पता सहित जिससे माल क्रय किया गया	टिन नंबर	क्रय किये गए माल का विवरण	कुल क्रय राशि	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			योग		

राज्य के भीतर ऐसे व्यवसाईयों को विक्रय की सूची जिन्हे वर्ष में रू. 1 लाख से अधिक का विक्रय किया गया हो

क्र0	व्यापारी का नाम पता सहित जिसको माल विक्रय किया गया	टिन नंबर	विक्रय किये गए माल का विवरण	कुल विक्रय राशि	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			योग		

ऊपर दी गई विशिष्टियॉ मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... पदनाम...

व्यापारी की सील, यदि कोई है.................

अभिस्वीकृति

मेसर्स ....(नाम)

टिन क्रमांक | 2 | 2 | | | | | | | | | | से ....से..........

...............................तक की अवधि का प्ररूप–18–क निम्नानुसार चालान/अभिलेखों के साथ प्राप्त हुआ:–

क्र.	चालान/अभिलेखों का विवरण	चालान/अभिलेखों की कुल संख्या	चालान/अभिलेखों की कुल राशि
(1)	चालान		
(2)	टीडीएस		
(3)			

प्राप्ति क्रमांक ....

दिनांक ....

कार्यालयीन सील ....

प्राप्तिकर्ता कर्मचारी के हस्ताक्षर"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2012

क्रमांक एफ-10-39/2012/वाक/पांच (54).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/39/2012/वाक/पांच (54), दिनांक 06-10-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 6th October 2012

NOTIFICATION

No. F-10/39/2012/CT/V (54).—In exercise of the powers conferred by section 71 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendment, with effect from the date of publication in the official gazette, in the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006, namely,—

AMENDMENT

In the said Rules,-

(1) In rule 8,-

(i) Sub-rule (2) for the words "by an order in writing grant permission" the words "within thirty days in form 5-A" shall be substituted.

(ii) The present sub-rule (3) the following sub-rule (3) shall be substituted.

"(3) The amount to be paid in lump sum by way of composition shall be determined at the rate mentioned against each type of contract specified below and shall be so determined at such rate on the total monetary consideration received or receivable by the registered dealer in respect of such works contract.

S.No.	Type of Contract	Rate at which lump sum shall be determined
1.	Civil works like construction of building bridges, roads, dams, barrages, canals, diversion excluding. (a) supply and installation of air-coolers or air-conditioners, air conditioning equipment: (b) supply and fitting of electrical goods and equipments: (c) fabrication and installation of elevators (lifts) and escalators: (i) When the goods for use by him are purchased within the State of Chhattisgarh.	2 Percent
	(ii) When the goods for use by him are received/purchased from out side the state of the Chhattisgarh.	4 Percent

2.	Fabrication and installation of plant and machinery.	4 Percent
3.	Supply and installation of air conditioners, air coolers, air conditioning equipments including deep freezers, cold storage plant and humidification plants.	10 Percent
4.	All other contracts not specified in serial numbers 1 to 3 above.	5 Percent"

(iii) Sub-rule (4) after the words "shall pay within 30 days" the words "from the first day of the succeeding month" shall be added.

(2) In proviso to sub-rule (2) of rule 9, the word "four percent" the word "five percent" shall be substituted.

(3) In rule 20:-

(i) In proviso, after clause (a) of sub-rule (2), the word "forty" the word "sixty" shall be substituted.

(ii) In clause (b) of sub-rule (2), after the word "specified in clause (a)" the words "who is not a manufacturer and/or importer and does not effect interstate sale/sale in the course of export out of the territory of India shall furnish a statement in Form 18-A and any other dealer" shall be inserted.

(4) In rule 78:-

(i) For the sub-rule (1) , the following sub-rule (1) shall be substituted:-

"(i) Any dealer, required to produce a tax clearance certificate under section 65 shall make an application electronically in Form-72 to the appropriate Commercial Tax Officer.

(ii) In clause (a) of sub-rule (2), wherever the word "one moth" occurs the word "seven day" shall be substituted.

(iii) In clause (b) of sub-rule (2) after the word "granted to the dealer" the words "electronically" shall be inserted.

(5) In rule 82:-

(i) sun-rule (2) for the word and figure "40 lac" the word and figure "60 lac" shall be substituted.

(ii) sub-rule (3) for the figure "3,000/- the figure "8,000/-" and for the figure "5,000/- the figure "10,000/-" shall be substituted.

(iii) sub-rule (4) after the word and figure "form 18" the words and figures "or in form 18A as the case may be" shall be inserted and for the word and figure "40 lac" the word and figure "60 lac" and the figure "1,000/- the figure "4,000/-" and the figure "2,000/- the figure "5,000/-" shall be substituted.

(iv) sub-rule(7) for the figure "5,000/- the figure "8,000/-" shall be substituted.

(6) After the form-5, the form 5-A shall be inserted:-

"FORM 5-A
[Refer rule 8(2)]

ORDER PERMITTING A DEALER TO MAKE PAYAMENT OF LUMPSUM AMOUNT BY WAY OF COMPOSITION UNDER SECTION 10 OF CHHATTISGARH VALUE ADDED TAX ACT, 2005

Shri .... who is carrying on the business known as ...., and is a dealer holding TIN .... Under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 whose only/*principal place of business is situated at .... Town/*Village .... District .. .. Tehsil .... Municipal ward No. .... (for municipa area only) who has taken works contract of .... (type of contract) at .... (place) for Rs. .... is hereby permitted under sub-section 1(a) of section 10 of the said Act and rule 8(2) of the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006 to make lump sum payment by way of composition at the rate of .... in respect of tax payable by him in relation to the goods to be supplied in execution of works contract mentioned above.

Seal
Dated

(Signed................)
Commercial Tax Officer
Cicle............."

(7) After Serial No. 22 of Form-17 the following list shall be inserted:-

"List of purchases from such dealers within the state from whom purchases of more than Rs. 1 lac in a year have been made

S. No.	Name of dealer with address from whom goods purchased	TIN No.	Description of goods purchased	Amount of Total Purchases	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Total:			

List of sales to such dealers within the state to whom sales of more than Rs. 1 lac in a year have been made

S. No.	Name of dealer with Address to whom goods sold	/TIN No.	Description of goods sold	Amount of Total sales	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Total:			

(8) In part-C of Form-18, before the "List of sales out of state/consignment/branch transfer" the following lists shall be inserted.

"List of Inter-state sales (Quarterly)

S. No.	Period of quarter	Name of dealer with Address to whom goods are sold	TIN No.	Description of goods purchased	Value	'C' Form No.	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Total:				

List of received goods from out of state consignment/branch transfer

S. No.	Name of consignment agent / branch with Address	TIN No.	Description of goods	Value	'F' Form No.	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Total:"				

(9) In part-C of Form-18, after the "List of sales against declaration by collection of tax at concessional rate of tax" the following list shall be inserted:-

"List of T.D.S. Certificate u/s. 27

S.No.	Name of the person making TDS	Amount of TDS	Challan No. of TDS deposited	Date	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Note:- Enclose TDS certificate."

(10) In last of Form-18, for the prescribed format of Acknowledgement the following Acknowledge and Verification Form shall be substituted:-

"Acknowledgement and Verification Form

1. Statement transaction No. ....
2. Statement/revised statement..................................
3. TIN ....
4. Dealer's Business Name..
5. Dealer's Name ....
6. Address ....
7. Act type ....
8. Period ....
9. Financial Year ....
10. Gross Turnover............ ....
11. Submission dated ....
12. Challan details:-

S.No.	Challan No.	Date	Amount	Name of the Bank	Branch

13. Other document:-

Particulars	No. of document	Amount
TDS Certificate		
F form		
H form		
Form 26		
I form		
Other		

Declaration

The particulars given above against Statement Identification No. .... are true the best of my knowledge and belief.

Place: ....
Dated: ....

Signature of Dealer ....
Designation ....

Date of receipt, Official seal

Signature, Name/designation of employee, receiving statement"

(11) After Form-18 the following Form 18-A shall be inserted:-

"FORM – 18-A

Dealer who is not a manufacturer or importer and does not effect interstate/sale in the course of export out of the territory of India

[See Rule 20(2)(b)]

TIN										
2	2									

Period of Annual Statement							
	DD	MM	YY		DD	MM	YY
From				To			

(For official use only)

Date of receipt	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

Signature ....
Name ....
Designation ....

Name of the dealer ....
Address ....
Phone/Fax No. ....

Name and Address of Branch offices within Chhattisgarh State, if any -

1. ....
2. ....

PART - A

1. Gross Turnover [ ]

*Gross Turnover on the basis of Maximum Retail Price if option has been taken for payment of tax on Maximum Retail Price of medicine. [ ]

Less – (i) Sale value of goods return within six month of sales

(ii) Cash discount allowed

2. Net Turnover

3. **Deductions:-**

(i)– Tax free sales u/s 15 and 15(8) -

(ii)– Tax paid Sales- u/s 2(x) -

(iii)– Other deduction (give details)

(a)

(b)

(iv)– Tax amount included in gross turnover

Total Deductions :

4. **Taxable Turnover -**

S.No.	Taxable Turnover	Rate of Tax	Tax Amount
1		1 %	
2		2 %	
3		5 %	
4		14 %	
5		25 %	
		Total :	

5. Tax Payable u/s. 13(5)

6. Purchase Tax u/s. 9 — Taxable amount — Purchase Tax Payable

7. Total Tax Payable (4+5+6)

8. Amount of interest, if any

9. Total (7+8)

10. **Computation of input tax rebate**–
On the basis of input tax paid on goods purchased within year (On tax amount shown separately in purchase bills)-

(i) @ 1% --				
(ii) @ 2% --				
(iii) @ 5% --				
(iv) @ 14% --				
Total .				

11. Deduct- Amount of input tax rebate adjusted (As per serial no.12)

12. Adjustment of input tax rebate :-
(i) Adjusted against the tax and interest payable under the Act.
(ii) Input tax rebate claimed as cash refund
Total (i+ii) :

13. Amount of input tax rebate carried over to next year (10-11)

14. Tax deducted at source u/s 27

15. Total [12(i)+14+15+16]

16. Payment details:-

S.No.	Challan No.	Date	Amount	Name of Bank	Branch
		Total :			

17. Balance payable amount (if any)

18. Refund amount (if any)

19. Amount adjusted in next year from the amount of refund

PART- B

Statement of rate wise stock of goods

S. No.	Page of the ledger	Name of the goods trading A/c.	Rate of tax	Opening balance	Purchase	Closing balance	Sale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

PART- C

List of purchases from such dealers within the state from whom purchases of more than Rs. 1 lac in a year have been made

S. No.	Name of dealer with address from whom goods purchased	R.C. No./ TIN No.	Description of goods purchased	Amount of Total Purchases	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Total:			

List of sales to such dealers within the state to whom sales of more than Rs. 1 lac in a year have been made

S. No.	Name of dealer with Address to whom goods sold	R.C. No./TIN No.	Description of goods sold	Amount of Total sales	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Total:			

The particulars given above are true to the best of my knowledge & belief.

Place.........................
Date ....

Signature ....
Designation ....

Seal of dealer, if any........................"

Acknowledgment

Received annual statement for the period .... to ....

in form-18-A from M/s. ....

TIN | 2 | 2 | | | | | | | | | | along with the following challans/documents.-

S.No.	Particular of Challans/documents	Total No. of Challans/documents	Total Amount of Challans/documents
(1)	Challan		
(2)	TDS		
(3)			

Receipt number ....
Date ....

Office Seal

....
Signature, Name and designation of employee receiving return

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित-- 2012.